राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक-प० 14(1)राज-6/05/16 जयपुर, दिनांक:- 26.5.2005

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) सपठित धारा 260 को उपधारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियमों में प्रतिबंधित भूमि/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जल संग्रहण हेतु प्रतिबंधित भूमि एवं अन्य नियमों या अधिनियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर राजकीय विभागों को उक्त नियमों के तहत लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु उक्त नियमों के नियम 2 में निर्धारित आवंटित होने वाली अधिकतम सीमा तक अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आवंटन की राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर दिनांक 31.08.2005 तक किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(डी० एस० मीणा)
शासन उप सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/राजस्व सचिव, राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज०।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राज०।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण विशेषांक दि० 26.5.05 में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, आर. आर. टी. आई, अजमेर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग जयपुर।
10. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव